(d) the details of the action plan worked out by Government for timely implementation of construction of the dam by removing the obstacles coming on the way?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes Sir.

(b) As reported by the Government of Gujarat, 2862 Project Affected Families of Madhya Pradesh have been allotted agriculture land in Gujarat till April, 1998.

(c) Does not arise.

(d) Since the last meeting of Review Committee for Narmada Control Authority held on 13.11.1996, the Resettlement & Rehabilitation Sub-group has met 7 times and the Rehabilitation Committee has undertakn 3 visits to Resettlement & Rehabilitation sites and submergence villages in the 3 States besides convening of 2 Inter-State meetings of Madhya Pradesh and Gujarat Field Officers to resolve various operational field-level difficulties coming in the way of smooth implementation.

Flood Control Measures in Assam

1043. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of projects sanctioned under Rs. 500 crore Prime Minister's special package (October, 1996) for flood control measures in Assam and amount allocated during 1997-98 and 1998-99 against such project;

(b) the number of proposals pending for sanction with Government including those for protection guidelines finalised for utilisation of the above Rs. 500 crores during the Ninth Plan; and

(c) the schemes sanctioned during the period under normal budget for permanent flood and erosion control measures?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Prime Minister's package of Rs. 500 crore is for execution of flood control works on Brahmaputra as central sector projects under the IX five year plan. Allocation for the Water Resources sector in the Centre for the IX five year plan is yet to be finalised. Selection of projects for inclusion in this package would be possible only after finalisation of allocation of funds under IX Plan.

(b) There are 17 schemes on short term measures under appraisal in Central Water Commission.

(c) 14 schemes for short term measures at an estimated cost of Rs. 34.76 crore were approved during 1997-98 under normal budget and none for 1998-99 till date. No scheme for permanent flood and erosion control has been submitted by the State for techno-economic clearance.

12.00 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Reports and Accounts (1996-97) of Oil and Natural Gas Ltd., New Delhi, Gas Authority of India Ltd. New Delhi, Lubrizol India Ltd., Mumbai and Bongaigaon Refinery and petrochemicals Ltd., Assam & related papers.

II. Memorandum of Understanding between the Govt. of India & various Petroleum Companies.

III. Notifications of the Ministry of Petroleum and Natural Gas

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सन्तोष कुमार गंगवार: महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. (1) कंपनी अधिनियम की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ii) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए , गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(iii) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए , लुबरीज़ोल इण्डिया लिमिटेड, मुंबई का इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कंपनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(iv) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए बोंगाइगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमीकल्स लिमिटेड, असम का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कंपनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) 1998-99 के वर्ष के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के बीच सम्पन्न सहमति ज्ञापन।

(ii) 1998-99 के वर्ष के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के बीच सम्पन्न सहमति ज्ञापन।

(iii) 1998-99 के वर्ष के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और बोंगई गांव रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड के बीच सम्पन्न सहमति ज्ञापन।

(iv) 1998-99 के वर्ष के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और लुबरीजोल इंडिया लिमिटेड के बीच सम्पन्न सहमति ज्ञापन।

(v) 1998-99 के वर्ष के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के बीच सम्पन्न सहमति ज्ञापन।

III. I. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) पैराफिन मोम (आपूर्ति, वितरण तथा कीमत नियतन) आदेश, 1997 को विखंडित करने वाली का॰ आ॰ 271(अ) दिनांक 31 मार्च, 1998।

(ii) भट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा संवितरण) संशोधन आदेश, 1998 को प्रकाशित करने वाली का॰ आ॰ 137(अ) दिनांक 19 फरवरी, 1998।

(iii) भट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा संवितरण) (संशोधन) आदेश, 1997 को प्रकाशित करने वाली का॰ आ॰ 623(अ) दिनांक 2 सितम्बर, 1997।

II. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (चिकित्सीय परिचर्या) संशोधन नियम, 1997 को प्रकाशित करने वाली सा॰ का॰ नि॰ 40(अ) दिनांक 21 जनवरी, 1998।

(ii) तेल उद्योग (विकास) संशोधन नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा॰ का॰ नि॰ 128(अ) दिनांक 10 मार्च, 1998।

I. Report & Accounts (1996-97) of Indian Renewable Energy Development Agency Ltd., (IREDA), New Delhi & related Papers.